भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4555
19.07.2019 को उत्तर के लिए

वनों की कटाई

4555. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान देश में वनों की कटाई की दर संबंधी आंकड़े संग्रहित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न कारणों से वनों की कटाई की सूचना नहीं रखी जाती है।

जब भी किसी वन क्षेत्र में अवैध कटाई की जाती है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 या राज्य के विशिष्ट वन अधिनियम और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उन वन क्षेत्रों में भी वृक्षों की कटाई की जाती है, जहां गैर-वानिकी गतिविधियों को अनुमति दी हुई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत, अनुमोदित विभिन्न प्रस्तावों के अंतर्गत 69,44,608 पेड़ों को हटाया गया है। ऐसे मामलों में, उन पेड़ों की हुई हानि को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण योजना को कार्यान्वित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल 62769.58 हे. भूमि निर्धारित की गई है।

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जुर्माना लगाने के अलावा, प्रयोक्ता एजेंसी पर पारि-प्रणाली सेवाओं को पहुंची क्षति के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) भी लगाया जाता है।

ऐसे प्रतिपूरक वनीकरण की राज्य वन विभागों के फील्ड अधिकारियों द्वारा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समय-समय पर निगरानी की जाती है।

******